No. A.4/2/2017-SEZ
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
(SEZ Admn. Section)

Udyog Bhawan, New Delhi
Dated the 19th November, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Filling up of post of Deputy Development Commissioner (DDC) on deputation basis in SEEPZ SEZ under the Department of Commerce - regarding.

The undersigned is directed to say that it is proposed to fill up the following vacancy of the post of Deputy Development Commissioner (DDC) in the level 11 as per 7TH CPC corresponding to PB-3 G.P. of Rs.6,600/- (pre-revised) on deputation basis in SEEPZ SEZ Special Economic Zone under the Department of Commerce :-

Sl. No.	Name of SEZ	Location of the post	No. of posts
1	SEEPZ SEZ	Andheri (East)Mumbai	1

2. Job requirements, experience, and qualifications required for the post is indicated in Annexure-I.

3. It is requested that duly completed applications of eligible and willing officers, who could be relieved in the event of selection, may be forwarded in the prescribed format (Annexure-II) alongwith following documents to The Under Secretary (SEZ), Room No. 477-B, Department of Commerce, Udyog Bhawan, New Delhi-110107, within a period of 45 days from date of publication of this advertisement in the Employment News:-

I. Complete and up-to-date Confidential Reports for the last five years in original or photocopy thereof duly attested by an officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India;
II. Vigilance Clearance; and
III. Cadre Clearance.

4. Applications not received in the prescribed format or received after the last date or without confidential reports and other relevant documents or found incomplete will not be considered.

5. The appointment will be on transfer on deputation basis. The period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years. The terms and conditions of the deputation will be governed as per the instructions issued by Department of Personal &

Training's vide O. M.No.6/8/2009-Estt. (Pay-II) dated i7th June, 2010, as amended from time to time. Any further information, including extension in the last date of receipt of application etc, will be notified through the webpage "http://sezindia.nic.in

19/11/19

(Sumit Kumar Sachan)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 011-2306496
e-mail: sumitsachan@nic.in

End: As above

To

1.All Ministries/Departments of Govt. of India, New Delhi.
2.Chief Secretaries of State Governments and Union Territories.
3.All attached/subordinate offices under the Ministry of Commerce & Industry (DOC)
4.Development Commissioner of all SEZs.
5.Development Commissioner, SEEPZ SEZ with the request to advertise the post in Employment News/Rozgar Samachar on priority basis. •
6.NIC, DOP&T and Department of Commerce for uploading the G.M. on their websites.
7.All Sections/Officers in the Department of Commerce.
8.Guard File.

Annexure -I

Essential and desirable qualifications, experience etc in respect of the post

Name of Post	Deputy Development Commissioner

Essential Conditions:

Officers from Central Governments Services including all India Services (AIS) and organized Group 'A' Services, State Government Officers/Officers of Union Territories/PSUs/Autonomous bodies/Statutory bodies,

(i) holding analogous post on regular basis; or

(ii) with 5 years regular service in the post having Pay in Band-3 and Grade Pay of Rs. 5,400/- (pre-revised) or in the corresponding Level of pay in the 7th CPC Pay matrix, possessing experience in industrial development, foreign trade, estate development and administration.

Note:

1. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation / Department of the Central Government shall not exceed (03) three years.

2. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

3. For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2016, the date from which the revised pay structure based on the 7th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the posts(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.

Annexure-II

APPLICATION FORM

1	Post Applied for	
2	Name (in **BLOCK LETTERS**)	
3	Name of Office & address	
4	Date of Birth	
5	Date of superannuation under Central/State Govt. Rules	
6.	Name of the present post held and date of appointment	
	Whether the present post is held on deputation/ad-hoc basis (strike out the one which is not applicable)	Deputation / Ad-hoc
7	Name of Post held on regular basis and Level of pay of the regular post in the Pay Matrix	
8	Date from which the post is held on regular basis.	
9	Date of return from last appointment on deputation (Completion of Cooling off period of 3 years is essential)	
10.	Education Qualifications	
11	Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. (if any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the details of the same)	Qualifications/Experience possessed by the officer
12	Details of Employment in chronological order (enclose a separate sheet, duly authenticated by your signature, if the space below is not sufficient)	

S. No.	Name of the Office/ Organization	Post held	From	To	Scale of pay and basic pay	Nature of duties
1	2	3	4	5	6	7

13	Additional details about present Employment Please state whether working under Central Government/State Government/ Autonomous Organization/Government Undertaking/University	
14	Details of experience in industrial development, foreign trade, estate development and administration	
15	Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for posts. (enclose a separate sheet, if the space is not sufficient).	
16	Whether belongs to SC/ST	

Signature of the Candidate

Place:	Address for Communication	
Date:	Phone No.(office)	
	Mobile No.	
	E-mail address	

Certificate

(To be given by the Head of the Department)

1. Certificate that the particulars furnished above have been verified and found to be correct.

2. It is also certified that no disciplinary/vigilance proceedings are either pending or contemplated against the officers. Integrity of the officer is also certified.

Signature of the Head of the Department

(With rubber stamp)

संख्या-ए-4/2/2017-एसईजेड

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(एसईजेड प्रशा. अनुभाग)

उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक 19 नवंबर, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- वाणिज्य विभाग के अंतर्गत एसईईपीजेड एसईजेड में प्रतिनियुक्ति आधार पर उप विकास आयुक्त(उविआ) के पद को भरने से संबंधित।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य विभाग के अंतर्गत एसईईपीजेड एसईजेड विशेष आर्थिक जोन में प्रतिनियुक्ति आधार पर पीबी-3+जीपी. रुपए 6600/- (पूर्व संशोधित) के तदनुरुप सातवें सीपीसी के अनुसार लेवल 11 में उप विकास आयुक्त(उविआ) के पद की निम्नलिखित रिक्ति को भरना प्रस्तावित है:-

क्रमसं0	एसईजेड का नाम	पद का स्थान	पदों की संख्या
1.	एसईईपीजेड एसईजेड	अंधेरी(पूर्व) मुंबई	1

2. पद के लिए आवश्यक कार्य की अपेक्षाएं, अनुभव एवं अर्हताएं अनुलग्नक-। में दी गई हैं।

3. निवेदन है कि उन योग्य एवं इच्छुक अधिकारियों जिन्हें चयन की स्थिति में कार्य भार मुक्त किया जा सके के विधिवत् भरे गए आवेदन पत्र, निर्धारित फॉमेट (अनुलग्नक-।।) में रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों की अवधि के अंदर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अवर सचिव(एसईजेड) कमरा सं. 477-बी, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन,नई दिल्ली-110107 के पास अग्रेषित किए जाए:-

।. पिछले पाँच वर्षों की मूल रूप में पूर्ण एवं अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट अथवा उनकी विधिवत् सत्यापित छायाप्रति, जिनका सत्यापन कम से कम अवर सचिव, भारत सरकार पद के अधिकारी द्वारा किया गया हो।

।।. सतर्कता अनापत्ति एवं

।।।. कैडर अनापत्ति

4. बिना गोपनीय रिपोर्टस एवं दूसरे सुसंगत दस्तावेजों अथवा अपूर्ण पाये गए अथवा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त अथवा निर्धारित फॉमेट में नहीं प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. नियुक्ति स्थानांतरण के द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के नियम एवं शर्तें समय-समय पर यथा संशोधित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.संख्या 6/8/2009-स्था.(वेतन-।।) दिनांक 17 जून, 2010 के द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार शासित होगी। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को बढ़ाने सहित और अन्य किसी सूचना की जानकारी बेब पेज http://sezindia.nic.in के द्वारा दी जाएगी।

19/11/19

सुमित कुमार सचान

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 011-23062496

ईमेल:sumit.sachan@nic.in

संलग्नक:- यथोक्त

सेवा में,

1) भारत सरकार के सभी विभाग/मंत्रालय नई दिल्ली।

2) राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव,

3) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय(डीओसी) के अंतर्गत सभी संबद्ध /अधीनस्थ कार्यालय।

4) सभी एसईजेड के विकास आयुक्त

5) विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड को इस अनुरोध के साथ कि वे इस पद का विज्ञापन प्राथमिकता के आधार पर एम्प्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में दें।

6) एन आई सी, कार्मिक एवं प्रशि.विभाग एवं वाणिज्य विभाग को उनके अपने बेवसाइट्स पर इस कार्यालय ज्ञापन को अपलोड करने हेतु।

7) वाणिज्य विभाग के सभी अनुभाग/ अधिकारी।

8) गार्ड फाइल।

अनुलग्नक -I

<u>इस पद के लिए अनिवार्य एवं वांछनीय अर्हताएं अनुभव आदि।</u>

पद का नाम	उप विकास आयुक्त

<u>अनिवार्य शर्तें:-</u>

अखिल भारतीय सेवाओं(एआईएस एवं संगठित ग्रुप-'ए' सेवाओं सहित केन्द्रीय सरकार की सेवाओं के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी/संघ राज्यक्षेत्र/ पीएसयूस/स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय के अधिकारी,

(i) नियमित आधार पर, सदृश पद धारण किए हो; अथवा

(ii) औद्योगिक विकास, विदेश व्यापार, संपदा विकास एवं प्रशासन में अनुभव रखने वाले बैंड-3 एवं ग्रेड पे रु0 5400/- (पूर्व संशोधन) अथवा 7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स में तदनुरुपी लेवल के वेतन वाले पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवाएं।

<u>नोट:</u>

(1) केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा दूसरे किसी संगठन विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्ववर्ती दूसरे संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन (3) वर्षों से अधिक नहीं होगी।

(2) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के उद्देश्यों के लिए, 01.01.2016, वह तिथि जिससे 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित संशोधित वेतन संरचना विस्तारित की गई है,से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित विस्तारित अनुवर्ती ग्रेड वेतन। वेतनमान में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी, सिवाय जहां समान ग्रेड वेतन। वेतनमान के साथ एक से अधिक पूर्व-संशोधित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है, और जहाँ यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए दिया जाएगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है।

अनुलग्नक-।।

आवेदन फार्म

1.	आवेदित पद	
2.	नाम(स्पष्ट अक्षरों में)	
3.	कार्यालय का नाम एवं पता	
4.	जन्म तिथि	
5.	केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत अधिवर्षिता की तिथि	
6.	वर्तमान धारित पद का पदनाम एवं नियुक्ति की तिथि	
	क्या वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/तदर्थ आधार पर धारित है (जो लागू नहीं है, उसे काट दें।	प्रतिनियुक्ति/तदर्थ
7	नियमित आधार पर है धारित पद का पदनाम एवं वेतन मैट्रिक्स में नियमित पद के वेतन का लेवल	
8.	वह तिथि जबसे नियमित आधार पर पद धारित है।	
9.	प्रतिनियुक्ति पर पिछली नियुक्ति से लौटने की तारीख तीन (3) वर्ष की कूलिंग ऑफ अवधि का पूरा होना आवश्यक)	
10.	शैक्षिक अर्हताएं	
11.	क्या पद के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं पूरी होती हैं।(यदि कोई अर्हता नियम में निर्धारित किसी अर्हता के समकक्ष मानी गयी है तो उसका विवरण दें।	अधिकारी की अर्हताएं/अनुभव
12.	कालानुक्रमिक क्रम में रोजगार का विवरण(यदि नीचे दिया गया स्थान पर्याप्त नहीं है तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित अलग पृष्ठ संलग्न करें।	

क्रमसं0	कार्यालय/संगठन का नाम	धारित पद	से	तक	वेतनमान एवं मूल वेतन	कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7

13.	वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण कृपया उल्लेख करें कि केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार स्वायत्तशासी संगठन/सरकारी उपक्रम/विश्वविद्यालय	
14.	औद्योगिक विकास, विदेश व्यापार, संपदा विकास एवं प्रशासन में अनुभव का विवरण।	
15.	अतिरिक्त सूचना, यदि कोई है, जिसका आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना	

	चाहते हैं।(यदि स्थान अपर्याप्त है तो अलग कागज संलग्न करें।)	
16.	क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित है:-	

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान:	पत्र व्यवहार का पता	
दिनांक:	फोन नं.(कार्यालय)	
	मोबाइल नंबर	
	ई.मेल का पता	

प्रमाणपत्र

(विभागाध्यक्ष द्वारा दिया जाना है)

1. प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर प्रस्तुत विवरणों को सत्यापित किया गया एवं सही पाया गया
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक/सतर्कता कार्यवाही लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है। अधिकारी की सत्यनिष्ठा भी प्रमाणित की जाती है।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

(रबड स्टैम्प के साथ)